सं0सं0– 16/ए.3–27/2013–

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा के आधार पर आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सक (एन0आर0एच0एम0 एवं आर0बी0एस0के0) तथा आयुष के महाविद्यालयों/अस्पतालों में संविदा के आधार पर नियोजित आयुष चिकित्सकों/शिक्षकों का मानदेय एलोपैथ प्रक्षेत्र के समान कर, वृद्धि करने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन था।

सम्यक विचारोपरान्त राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 04.12.2018 में मद संख्या 20 के तहत राज्य के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में संविदा के आधार पर आयुष (आयुर्वेद, यूनानी एवं होमियोपैथ) चिकित्सक (एन0आर0एच0एम0 एवं आर0बी0एस0के0) तथा आयुष के महाविद्यालयों/अस्पतालों में संविदा के आधार पर नियोजित आयुष चिकित्सकों/शिक्षकों का मानदेय एलोपैथ प्रक्षेत्र में मिल रहे चिकित्सकों एवं चिकित्सक शिक्षकों के समान स्वीकृत किया गया है। स्वीकृति के आलोक में उक्त चिकित्सक शिक्षकों का मानदेय वृद्धि निम्नवत किया जाता है –

पदनाम	पूर्व से निर्धारित मानदेय	वर्द्धित दर पर मानदेय
एन0आर0एच0एम0 के तहत नियोजित आयुष चिकित्सक	30,000/–	44,000/– 5% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित
आर0बी0एस0के0 के तहत नियोजित आयुष चिकित्सक	21,000/–	44,000/– 5% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित
आयुष के महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित व्याख्याता / व0हो0चि0पदा0/चिकित्सा पदाधिकारी	49,000/–	75,000/– 10% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित
आयुष के महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित प्रवाचक	61,000/–	86,500/– 10% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित
आयुष के महाविद्यालयों में संविदा के आधार पर नियोजित प्राध्यापक	71,000/–	1,32,500/– 10% वार्षिक वेतन वृद्धि के सहित

प्रस्ताव में वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

ह0/–
(नागेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक – 16/ए.3–27/2013–1577 (आ॰ चि॰) पटना, दिनांक – 07.12.2018

प्रतिलिपि – प्रभारी, ई गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षक, गुलजारबाग प्रेस, पटना को राजकीय गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि – विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग को मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक 04.12.2018 में मद संख्या 20 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D:\santosh\letter.docx

प्रतिलिपि – महालेखाकार (ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – माननीय मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी सिविल सर्जन/सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – प्राचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना, दरभंगा, बेगूसराय, बक्सर एवं भागलपुर/प्राचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय तिब्बी कॉलज, पटना/प्राचार्य एवं अधीक्षक, राजकीय आर0बी0टी0एस0 होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

D:\santosh\letter.docx